मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्र. F 11-27/2016/1-9 भोपाल, दिनांक 7 मई, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागायुक्त,

समस्त जिला कलेक्टर,

विषय:-उद्योग/व्यवसाय से संबंधित अधिनियम/नियम/विनिमय इत्यादि को अंतिम रूप देने से पूर्व अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में।

....

राज्य शासन के विभागों द्वारा समय-समय पर उद्योग/व्यवसाय से संबंधित नए अधिनियम/नियम/विनियम इत्यादि बनाए जाकर लागू किए जाते हैं अथवा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन जारी किए जाते हैं। सामान्यत: यह देखा गया है कि इस प्रकार के अधिनियम/नियम/विनियम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्रारूप प्रकाशित कर उन पर सुझाव आमंत्रित किए जाते रहे हैं। तत्पश्चात उन पर विचार करने के पश्चात प्रारूप को अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जाती है।

2. उद्योग/व्यवसाय से संबंधित अधिनियम/नियम/विनियम बनाए जाने के संबंध में पारदर्शिता व सुशासन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकृति के Legal framework को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित विभाग द्वारा अनिवार्यत: उसे विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव आमंत्रित किए जाएं। प्राप्त सुझावों पर समुचित विचार करने के बाद ही प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए। विभागीय वेबसाईट पर सार्वजनिक रूप से यह भी प्रदर्शित किया जाए कि स्टेकहोल्डर्स से कौन-कौन

(Mohammed Suleman)
PS, CI&E

से सुझाव प्राप्त हुए है और उन पर अधिनियम/नियम/विनियम को अंतिम रूप देने की दिशा में सुझावों पर किस प्रकार कार्यवाही की गई है।

3. समस्त विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एम. के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ;क्रमांक एफ 11-27/2016/1-9 भोपाल, दिनांक 7 /05/2016

प्रतिलिपि-'

1.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2.प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3.प्रमुख सचिव(समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल ।
4.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल ।
5.रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर ।
6.सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल ।
7.सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र.इन्दौर ।
8.विशेष सहायक/निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
9.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल ।
10.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11.महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इन्दौर/ग्वालिय ।
12.महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
13.अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
14.प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
15.आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल ।
16.अवर सचिव, साप्रवि, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
17.अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
18.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग